

प्रपत्र-2
परिशिष्ट
(देखिए नियम -6)
फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | :- | मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भोरो बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। |
| (ii) | 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। | :- | संलग्न |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- | रू० 17.84 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- | प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 20) के अनुसार |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। | :- | लागू नहीं है। |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- | 2158 मानव दिवस |
| 2- | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | :- | प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 32) के अनुसार |
| 3- | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- | लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है। |
| | (i) परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। | :- | नहीं |
| 4- | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- | संलग्न |
| 5- | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) | :- | विषय सूची के अनुसार संलग्न हैं |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा। | | |

तिथि 01/02/2019

स्थान ऊखीमठ

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)


(इ. मनोज दास)
अतिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P-r Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
- (ii) जिला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे.में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति

- (Vi) हरियाली का घनत्व
- (Vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।
- (vii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- (viii) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबद्धित की जाए)
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा

- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक

:- मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों वैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

:- उत्तराखण्ड

:- रुद्रप्रयाग

:- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

:- 1.340 है.

:- वन पंचायत भूमि व वयार्क-बरसूड़ी सिविल वन भूमि

:-

:- सूती संलग्न है।

:- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।

:-

:- नहीं

:- नहीं

:- नहीं

:- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।

:- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है। अतः कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

:- संलग्न

:- संलग्न

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर :- संलग्न
/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन
सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक :- संलग्न
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी,
समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय :-
परिव्यय।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की :- संलग्न
उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण
से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप
वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट :- संलग्न
विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में
पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
12. प्रभाग / जिला प्रोफाइल :-
जिले का वन क्षेत्र :-
- (i) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में :-
(ii) लाया गया कुल वन क्षेत्र :-
(iii) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल :-
प्रतिपूरक वनीकरण :-
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन :-
भूमि :-
(ख) वनेत्तर भूमिपर :-
(अ)तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई :-
प्रगति :-
(क) वन भूमि पर :-
(ख) वनेत्तर भूमि पर :-
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को :-
अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की
विशेष सिफारिश।

दिनांक :-
स्थान:-

Kumar
वन क्षेत्राधिकारी
गुवाहाटी
गुवाहाटी

M. Sharma
प्रभागीय वनाधिकारी

P.C. Attached
S. S.
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-

14. इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। :-

16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। :-

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।) :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग PT में :-
किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)